"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2015—ज्येष्ठ 29, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2015

क्रमांक एफ 1/03/2012/एक/14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एच. के. राठौर (भापुसे-1998), अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री ओ. पी. पॉल (भापुसे-2003), पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

श्री ओ. पी. पॉल द्वारा अतिरिक्त परिवहन आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय पुलिस सेवा वेतन नियम-11 के तहत कर्त्तव्यों एवं दायित्वों में पुलिस अधीक्षक के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री अभिषेक पाठक (भापुसे-2004), पुलिस अधीक्षक, जिला गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री बद्रीनारायण मीणा (भापुसे-2004), पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री जे. एस. वट्टी (भापुसे-2004), पुलिस अधीक्षक, एसआईबी, जगदलपुर तथा सेनानी, पी.टी.एस., जगदलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव के पद पर पदस्थ करता है.

6. श्री अमित तुकाराम कांबले (भापुसे-2009), पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है.

7. श्री अभिषेक मीणा (भापुसे-2010), पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक एफ 1/03/2012/एक/14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एच. के. राठौर (भापुसे-1998), पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री पी. एस. गौतम (भापुसे-1999), पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, छ.ग. सशस्त्र बल, मुख्यालय, नया रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994), प्रशिक्षण उपरांत कर्त्तव्य पर उपस्थित हैं, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26-5-2015 द्वारा श्री दिलराज प्रभाकर, भा.व.से. (2008), वन मण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वन मण्डल, खैरागढ़ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर के पद पर पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. श्री दिलराज प्रभाकर, भा.व.से. (2008), वन मण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वन मण्डल, खैरागढ़ के पद पर यथावत रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 जून 2015

क्रमांक ई-1-16/2004/1/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/07/2015-एआईएस (I) दिनांक 29-05-2015 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(2) के अंतर्गत सुश्री स्वाति श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (आर.आर. 2012) की सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से उत्तराखंड राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2015

क्रमांक एफ 1-09/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा आवंटन वर्ष 2013 बैच के भारतीय वन सेवा के निम्नांकित प्रशिक्षु अधिकारियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में उनकी प्रशिक्षण की समाप्ति उपरांत क्षेत्रीय प्रशिक्षण हेतु अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्नानुसार पदस्थ करता है :—

क्रमांक	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम	वनमण्डल का नाम
1.	श्री प्रणय मिश्रा	कटघोरा वनमण्डल
2.	श्री गनवीर धम्मशील	सूरजपुर वनमण्डल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2015

क्रमांक एफ 7-09/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रामगोपाल गर्ग, भापुसे, राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर को दिनांक 06-07-2015 से 17-07-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृति करते हुए दिनांक 05-07-2015, 18-07-2015 एवं 19-07-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रामगोपाल गर्ग आगामी आदेश तक राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री गर्ग की अवकाश अवधि में राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर के पद का प्रभार श्री बालाजीराव सोमावार, भापुसे, सेनानी, 3री वाहिनी, अमलेश्वर-दुर्ग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2015

क्रमांक एफ 7-28/2015/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ए. एच. कपासी, वन संरक्षक, (वि./यो.), रायपुर को दिनांक 01-06-2015 से 12-06-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 31 मई तथा 13-14 जून 2015 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपासी वन संरक्षक, (वि./यो.), रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कपासी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कपासी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2015

क्रमांक एफ 7-01/2015/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री पी. सी. मिश्रा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 24-06-2015 से 30-06-2015 तक कुल 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2015

क्रमांक/1016/1384/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. के. भेड़िया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 05-11-2013 से दिनांक 23-11-2013 तक कुल 19 दिवस एवं दिनांक 05-11-2014 से दिनांक 02-12-2014 तक कुल 28 दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री आर. के. भेड़िया को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भेड़िया अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2015

क्रमांक 5430/1519/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विधि स्नातक छात्र जो पांच वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें लॉ इंटर्न/रिसर्च असिस्टेंट के रूप में विधि एवं विधायी कार्य विभाग में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग में सहायता के लिए पारिश्रमिक रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) मासिक मानदेय पर नियुक्त किए जाने हेतु कुल 1 लॉ इंटर्न/रिसर्च असिस्टेंट के पद के सृजन की सहमति प्रदान करता है.

यह सहमति छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के क्रमांक एफ 2015-21-00685/ब-3/चार दिनांक 04-06-2015 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रमुख सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2015

क्रमांक एफ 1-3/दो/आठ-परि./2002.—विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 4655/1492/XXI-B/CG/15, दिनांक 19-05-2015 द्वारा श्री रमेश कुमार राठी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, रायपुर की सेवायें परिवहन विभाग को सौंपने के फलस्वरूप श्री रमेश कुमार राठी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, रायपुर का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/792.—राज्य के आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/789, दिनांक 31 मार्च 2012 से श्री शिवराज सिंह, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 77 (ii) सहपठित आर्टिकल 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री शिवराज सिंह को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में निदेशक के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

3. श्री शिवराज सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को उक्त कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कंपनी के अध्यक्ष के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/794.—राज्य के आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/789, दिनांक 31 मार्च 2012 से श्री शिवराज सिंह, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 77 (ii) सहपठित आर्टिकल 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री शिवराज सिंह को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में निदेशक के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

3. श्री शिवराज सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को उक्त कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कंपनी के अध्यक्ष के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/796.—राज्य के आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/789, दिनांक 31 मार्च 2012 से श्री शिवराज सिंह, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 77 (ii) सहपठित आर्टिकल 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री शिवराज सिंह को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में निदेशक के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

3. श्री शिवराज सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को उक्त कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कंपनी के अध्यक्ष के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/798.—राज्य के आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/789, दिनांक 31 मार्च 2012 से श्री शिवराज सिंह, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 77 (ii) सहपठित आर्टिकल 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री शिवराज सिंह को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में निदेशक के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

3. श्री शिवराज सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को उक्त कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कंपनी के अध्यक्ष के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/800.—राज्य के आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/789, दिनांक 31 मार्च 2012 से श्री शिवराज सिंह, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 77 (ii) सहपठित आर्टिकल 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री शिवराज सिंह को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में निदेशक के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

3. श्री शिवराज सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उक्त कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एण्ड मैमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कंपनी के अध्यक्ष के पद पर दिनांक 31-03-2015 के पश्चात् और 03 वर्ष के लिए सेवाकाल में वृद्धि दी जाती है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2015

क्रमांक एफ 10-7/2015/16.—"श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955" की धारा 17(ख) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक को निरीक्षक नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2015

क्रमांक 1002/471/2015/16.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार "असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल" का गठन करता है :—

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

(I) पदेन अध्यक्ष — माननीय श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
(II) पदेन सदस्य सचिव — सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के सात प्रतिनिधि

1. सदस्य — सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. सदस्य — सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग
3. सदस्य — सचिव, वित्त विभाग
4. सदस्य — सचिव, स्वास्थ्य विभाग
5. सदस्य — सचिव, उद्योग विभाग
6. सदस्य — महाप्रबंधक, जीवन बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय
7. सदस्य — श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर

असंगठित श्रमिकों के सात प्रतिनिधि

1.	सदस्य	—	श्री योगेश दत्त मिश्रा, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूरी संघ, 2 उद्यान मार्ग, चौबे कॉलोनी, रायपुर
2.	सदस्य	—	श्रीमती रीता एक्का, कैथोलिक आश्रम पो. कमलेशपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3.	सदस्य	—	श्री विष्णु चन्द्राकर, मध्यान्ह् भोजन रसोईया संघ, भिलाई दुर्ग, आवास क्र. 4, सड़क नं. 14, सेक्टर-8 भिलाई, दुर्ग.
4.	सदस्य	—	श्री संजय शर्मा, अध्यक्ष, रायपुर ऑटोरिक्शा यूनियन, चूनाभट्ठी स्टेशन वार्ड, रायपुर (छ.ग.)
5.	सदस्य	—	श्री गौतम चंद्रिकापुरे, आई.टी.आई. कर्मचारी संघ, कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
6.	सदस्य	—	श्री विष्णु नामदेव, निर्माणी मजदूर, फाफाडीह, रायपुर
7.	सदस्य	—	श्री केशव राम सिन्हा, प्रतिनिधि ठेला चालक, नंदई चौक, राजनांदगांव (छ.ग.)

असंगठित श्रमिकों के नियोजकों के सात प्रतिनिधि

1.	सदस्य	—	श्री अमर परवानी, अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, नवीन बाजार, रायपुर
2.	सदस्य	—	श्री राजू साहू, थोक सब्जी विक्रेता, पुजारी पार्क के पास टिकरापारा, रायपुर
3.	सदस्य	—	श्री सतीश कुमार ठाकुर, ठाकुर न्यूज एजेंसी, नंदी चौक, टिकरापारा, रायपुर
4.	सदस्य	—	श्री रमेश यदु, बजरंग वार्ड, भाठापारा, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)
5.	सदस्य	—	श्री सुरेश खिल्लानी, अध्यक्ष, एल्युमिनियम डोर विन्डो वर्कर्स एसोसियेशन, टाटीबंध रायपुर
6.	सदस्य	—	अध्यक्ष, सिनेमा व्यवसाय संघ, रायपुर
7.	सदस्य	—	अध्यक्ष, सराफा व्यवसाय संघ, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.)

राज्य विधान सभा के दो सदस्य

1.	सदस्य	—	श्रीमती सुनिति राठिया
2.	सदस्य	—	श्री अवधेश चंदेल

सिविल सोसाईटी के पांच प्रतिनिधि

1.	सदस्य	—	श्री आर.एन.ब्यास, एडव्होकेट, विवेकानंद नगर, रायपुर
2.	सदस्य	—	श्री मनोज देव, राजबाड़ा, सुकमा
3.	सदस्य	—	श्रीमती तारिणी चन्द्राकर, सामाजिक कार्यकर्ता, आस्था विमेन सोशल संस्था, एकता चौक, महासमुंद (छ.ग.)
4.	सदस्य	—	श्री रामानंद अग्रवाल, विकलांग चेतना परिषद्, टाटीबंध, रायपुर.
5.	सदस्य	—	श्री तरूण गुप्ता, पो.-पखान्जूर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-59/तीन (एक)-18/पंचा./कार.अव./2014/2134, दिनांक 25-05-2015 में उल्लेखित छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-37-26/तीन (एक)-3/पंचा/2015/2085, दिनांक 20-05-2015 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के समस्त जिलों (जिला कोण्डागांव को छोड़कर) में संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये सरपंचों/पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये नई निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार दिनांक 21-06-2015 (रविवार), को मतदान कराया जाएगा.

2. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 21-06-2015 (रविवार), को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अब्बास खान, अवर-सचिव.

परिशिष्ट-एक

पंचायत के रिक्त पदों की जानकारी

माह मार्च 2015 की स्थिति में

क्र. (1)	जिला (2)	सरपंच (3)	पंच (4)	योग (5)
1.	बिलासपुर	0	15	15
2.	मुंगेली	4	20	24
3.	जांजगीर-चांपा	0	10	10
4.	कोरबा	1	32	33
5.	सूरजपुर	0	79	79
6.	बलरामपुर	1	11	12
7.	सरगुजा	0	56	56
8.	कोरिया	0	49	49
9.	रायगढ़	1	88	89
10.	जशपुर	0	27	27
11.	रायपुर	3	12	15
12.	बलौदाबाजार	2	6	8
13.	गरियाबंद	0	34	34
14.	महासमुन्द	0	23	23
15.	धमतरी	1	16	17
16.	बेमेतरा	0	9	9
17.	दुर्ग	1	9	10
18.	बालोद	7	11	18
19.	राजनांदगांव	3	48	51
20.	कबीरधाम	1	13	14
21.	कोण्डागांव	0	0	0
22.	बस्तर	0	17	17
23.	नारायणपुर	0	1	1
24.	कांकेर	18	315	333
25.	दन्तेवाड़ा	6	48	54
26.	सुकमा	0	170	170
27.	बीजापुर	3	12	15
	योग	**52**	**1131**	**1183**

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2015 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 09-58/गृह-सी/परीक्षा/2014.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 03 अगस्त, 2015 से 10 अगस्त, 2015 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 03-08-2015

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 03-08-2015	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 04-08-2015

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 04-08-2015

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 05-08-2015

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्नपत्र.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	बुधवार, दिनांक 05-08-2015	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

गुरुवार, दिनांक 06-08-2015

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 06-08-2015	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 07-08-2015	
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

शुक्रवार, दिनांक 07-08-2015

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	शुक्रवार, दिनांक 07-08-2015	
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 08-08-2015 एवं रविवार 09-08-2015 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 10-08-2015	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10-07-2015 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-48/2014/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 27-10-2014 द्वारा कोरबा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

कोरबा विकास योजना में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	झगरहा	417, 418, 419, 420	22.032 एकड़	आरक्षित वन	आवासीय (अटल विहार आवासीय योजना)

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण शासकीय अटल विहार आवासीय प्रयोजन के लिये है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 9 जून 2015

क्रमांक 06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बड़गांव प.ह.नं. 32	15.86	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	समोदा बैराज के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 जून 2015

क्रमांक 08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	अछोला प.ह.नं. 05	66.99	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	समोदा बैराज के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 जून 2015

क्रमांक 09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	अछोली प.ह.नं. 31	8.71	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	समोदा बैराज के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अम्बिकापुर, दिनांक 15 मई 2015

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	धरमपुर	4.387	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	बेलजोरा जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 15 मई 2015

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बेलजोरा	9.795	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	बेलजोरा जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं स्पिल चेनल हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 25 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चौराआमा प.ह. नं. 4	2.145	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	घरजियॉबथान जलाशय के डूबान का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 25 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बनगॉव "बी" प.ह. नं. 24	0.743	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के बॉयी तट बनगॉव "बी" शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 12 मई 2015

क्रमांक/11/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	पुरगांव प.ह.नं. 10	0.103	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बलौदाबाजार (छ.ग.)	पुरगांव से खजरी पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 12 मई 2015

क्रमांक/13/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	भोगडीह प.ह.नं. 18	0.422	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बलौदाबाजार (छ.ग.)	बसना से बिलाईगढ़ मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 12 मई 2015

क्रमांक/15/भू-अर्जन/वाचक/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	बांसउरकुली प.ह.नं. 14	0.242	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बलौदाबाजार (छ.ग.)	बसना से बिलाईगढ़ मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 मई 2015

क्रमांक 16/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-उज्जलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.560 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	97	1.560
योग	1	1.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- केलो परियोजना के तहत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर (छ.ग.)

बीजापुर, दिनांक 22 मई 2015

क्रमांक/42/कले./खनिज/2015.—छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-33 के अंतर्गत लेखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र गौण खनिज पत्थर घोषित उत्खनन पट्टा, पुन: अनुदान में दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के पश्चात् उपलब्ध होगा.

खनिज रियायत के लिये खुला क्षेत्र

क्र. (1)	पूर्व पट्टेदार का नाम/पता (2)	ग्राम का नाम (3)	तहसील (4)	खसरा नं. (5)	पटवारी हल्का नंबर (6)	रकबा (7)	खनिज का नाम (8)	भूमि का विवरण (9)	खुला घोषित किये जाने का कारण (10)
1.	श्री जी. वेंकटेश्वर राव पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण ग्राम/तहसील व जिला बीजापुर	ईंटपाल	बीजापुर	418/1	44	1.627 हे. में से 0.817 हे.	पत्थर	शासकीय भूमि	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 39 (5) के तहत निरस्त होने के कारण
2.	श्रीमती अर्चिता दास पति श्री रीतेश दास ग्राम/तहसील व जिला बीजापुर	ईंटपाल	बीजापुर	418/1	44	1.627 हे. में से 0.810 हे.	पत्थर	शासकीय भूमि	

यशवंत कुमार,
कलेक्टर.